

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ओपन स्टेट बिल्डिंग, प्रथम तल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 0141-2709846

E-mail: csr.edu.raj@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीएसआर/प्लॉन 2019-20/13972

दिनांक : 20/08/2020



Government of Rajasthan
Gyan Sankalp

राजकीय विद्यालयों के पूर्व विद्यार्थी और दानदाताओं/भामाशाहों/सीएसआर कम्पनी प्रतिनिधि सम्मेलन 2020-21 आयोजन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना-

राजस्थान में दान देने की प्रथा काफी पुरानी है। राजस्थानियों ने राजस्थान के बाहर बसने के बाद भी यहां के विद्यालयों को तन-मन-धन से सहयोग कर शिक्षा की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान किया है। बहुत से भामाशाहों ने विद्यालय भवन तक का निर्माण कर सरकार को समर्पित किया है। यह कार्य अभी जारी है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों और संभावित दानदाताओं को एक साथ लाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कंपनियों, ट्रस्टों और व्यक्तियों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान संकल्प पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल का लक्ष्य दानदाताओं/कम्पनियों को विकल्प उपलब्ध करवाकर दान की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

राजस्थान राजकीय विद्यालयों से पढे छात्रों ने विश्व/भारत में अपने-अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इन पूर्व छात्रों को अपने विद्यालयों से जोड़ने, राजकीय विद्यालयों की प्रगति एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किये जा रहे नवाचारों को आमजन तक पहुंचा कर राजकीय विद्यालय के विकास में सहभागी बनाने के उद्देश्य से पूर्व विद्यार्थी और दानदाताओं/भामाशाहों/सीएसआर के अन्तर्गत कार्य करने वाली औद्योगिक संस्थानों को विद्यालयों के समग्र विकास में सहभागी बनाने हेतु सम्मेलन आयोजन की परिकल्पना की गई है। यह सम्मेलन राजकीय विद्यालयों के पूर्व विद्यार्थियों/भामाशाह/सीएसआर के अन्तर्गत कार्य करने वाली संस्थाओं को विद्यालय विकास में सहभागी बनने के लिए एक मंच प्रदान करेगा जिससे राजकीय विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों को आमजन के साथ मिलकर पूर्ण किया जा सकें।

2. सम्मेलन हेतु स्वीकृत बजट-

- राजकीय विद्यालयों के पूर्व विद्यार्थी और दानदाताओं/भामाशाहों/सीएसआर के अन्तर्गत कार्य करने वाली औद्योगिक संस्थानों हेतु सम्मेलन आयोजन हेतु समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2020-21 के लिए इनोवेशन (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) के अन्तर्गत 14841 विद्यालय (यू-डाईस 2018-19 के आधार पर शून्य नामांकन को छोड़कर) के लिए रुपये 1000/- (अक्षर-एक हजार रुपये मात्र) की दर से 148.41 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। जिले वार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या व अधिकतम आवंटित राशि का विवरण अनुसूची-1 में संलग्न है।
- जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय इस राशि का हस्तान्तरण आयोजन विद्यालय क्षेत्र में आने वाले माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या के अनुसार प्रति विद्यालय 1000/- की दर हस्तान्तरित करेंगे। सम्मेलन आयोजन विद्यालय का विवरण बिन्दु संख्या-3 में उल्लेखित है।
- उक्त आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई उक्त राशि के अतिरिक्त जनसहयोग, भामाशाहों, दानदाताओं एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

3. राज्य के समस्त विद्यालयों के पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन के जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर पर सफल आयोजन एवं उक्त राशि के व्यय हेतु दिशा-निर्देश

- ❖ आयोजन स्थल, आयोजन दिवस एवं भाग लेने वाले विद्यालय।

अर

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्



Government of Rajasthan
Gyan Sankalp

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ओपन स्टेट बिल्डिंग, प्रथम तल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 0141-2709846

E-mail: csr.edu.raj@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीएसआर/प्लॉन 2019-20/13972

दिनांक : 20/8/2020

विद्यालयों में पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन आयोज्य वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ निम्न प्रकार से आयोजित किये जावेगे-

- प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर - प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक ही पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन आयोजित किया जावेगा जो कि पंचायत क्षेत्र में आदर्श विद्यालय हेतु आयोज्य वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ पंचायत क्षेत्र के सभी राजकीय विद्यालयों के लिए आयोजित किया जावेगा।
- शहरी आदर्श विद्यालय स्तर - जिन शहरी निकाय क्षेत्र में एक ही शहरी आदर्श है वहां पर सम्बन्धित शहरी निकाय के समस्त राजकीय विद्यालयों हेतु आयोजित होगा। ऐसे शहरी निकाय जिनमें एक से अधिक शहरी आदर्श है। उनमें शहरी निकाय के समस्त राजकीय विद्यालयों को शहरी आदर्श विद्यालयों की संख्या के आधार पर समूह में बांटकर आयोजित किया जावेगा। विद्यालयों के समूह बनाने का कार्य ब्लॉक परियोजना कार्यालय द्वारा किया जावेगा। इन विद्यालयों में पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन आयोज्य वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ आयोजित किया जावेगा।
- ऐसे शहरी निकाय जहां शहरी आदर्श विद्यालय नहीं है वहां पर शहरी निकाय के सह-शिक्षा विद्यालय में निकाय के समस्त राजकीय विद्यालयों हेतु आयोजित किया जावेगा। इन क्षेत्रों के आयोजन दिवस का निर्धारण ब्लॉक स्तरीय आयोजन समिति द्वारा किया जावेगा।
- ❖ जिला, ब्लॉक, पंचायत व आयोजन विद्यालय स्तर समिति व कार्य -
 - पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन हेतु राज्य स्कूल शिक्षा परिषद् के ग्रामीण व शहरी आदर्श विद्यालय एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह-2021 के आयोजन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश क्रमांक राज.स्कू.शि.प./जय/आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय/2020-21/13895 दिनांक 19-08-2020 द्वारा निर्धारित जिला, ब्लॉक व शहरी आदर्श विद्यालय आयोजन समिति ही पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन हेतु भी जिला, ब्लॉक, पंचायत एवं विद्यालय आयोजन समिति के रूप में कार्य करेगी एवं पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन हेतु समस्त उत्तरदायी होगी। उक्त आदेशों में पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन के क्रम में वर्णित समस्त दिशा-निर्देश लागू होंगे।
 - उक्त समारोह के आयोजन संबंधी समस्त गतिविधियों का सम्पादन कोविड महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना अनिवार्यतः पूर्ण करते हुए किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं (विद्यालय) के नियमित संचालन की अनुमति पश्चात् भी कोविड महामारी के संबंध में राज्य सरकार के तत्समय के दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे।
 - ऐसे शहरी निकाय जिनमें शहरी आदर्श विद्यालय नहीं है वहां पर विद्यालय स्तर की आयोजन समिति निम्नानुसार आयोजन समिति का गठन किया जाता है। यह समिति अपने क्षेत्र के पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन की समस्त व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी होगी-
 - शहरी निकाय के आयोजक विद्यालय संस्थाप्रधान - अध्यक्ष
 - शहरी निकाय क्षेत्र के अधीनस्थ उमावि/मावि के संस्थाप्रधान - सदस्य (02)
 - शहरी निकाय क्षेत्र के अधीनस्थ उप्रावि/प्रावि के संस्थाप्रधान - सदस्य (02)
 - एसडीएमसी/एसएमसी (शहरी विद्यालय) - सदस्य (02)
 - शहरी निकाय क्षेत्र के भामाशाह प्रेरक - सदस्य
 - शहरी निकाय क्षेत्र के भामाशाह - सदस्य (02)

● जिला समिति के कार्य-

- पूर्व छात्र व दानदाता सम्मेलन हेतु जिला स्तर पर निर्मित विस्तृत कार्ययोजना को समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के साथ साझा करेंगे।

3/11

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्



Government of Rajasthan
Gyan Sankalp

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ओपन स्टेट बिल्डिंग, प्रथम तल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 0141-2709846

E-mail: csr.edu.raj@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीएसआर/प्लॉन 2019-20/13972

दिनांक : 20/8/2020

- समारोह की राशि परिषद् स्तर द्वारा जिले को प्रेषित की जावेगी और जिला स्तर से सम्बन्धित आयोजक विद्यालय के एसडीएमसी/एसएमसी खाते में उपलब्ध करवाई जावेगी।
- आयोजक विद्यालय के एसडीएमसी/एसएमसी खाते में हस्तान्तरण से पूर्व आयोजन में भाग लेने वाले राउमावि व रामावि विद्यालयों की संख्या निर्धारण ब्लॉक परियोजना कार्यालय की सहायता से निर्धारित कर दिनांक 21-09-2020 तक राज्य कार्यालय को अनिवार्य रूप प्रेषित करें।
- समारोह के आयोजन से पूर्व राज्य स्तर से जारी राशि आयोजनकर्ता विद्यालयों की एसडीएमसी/एसएमसी के खातों में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- कार्ययोजना निर्माण करते समय अधिकाधिक जनसहभागिता को प्रमुखता प्रदान करेंगे।
- समारोह में जनप्रतिनिधि, भामाशाह, दानदाता, कम्पनी के प्रबन्धक/सीएसआर हैड को आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- राज्य स्तर से समारोह हेतु जारी राशि के अतिरिक्त राशि एकत्रीकरण हेतु जिला/ब्लॉक के सीएसआर फर्म, भामाशाह, उधोगपति, दानदाता, जनप्रतिनिधि, विद्यालयों के सफल पूर्व छात्र एवं ऐसे संभावित व्यक्तित्व जो कार्ययोजना के आयोजन हेतु राशि उपलब्ध करा सकते हैं, की सूची मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी के साथ साझा की जावे।
- समारोह में संस्था प्रबन्धन एवं विद्यार्थियों को सम्बलन प्रदान करने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को नियुक्त किया जावे। प्रयास रहे कि अधिकतम समारोहों में कोई प्रतिनिधि आवश्यक रूप से उपस्थित रह सके। इस हेतु संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि एवं माशि), प्रधानाचार्य-डाइट, एडीपीसी कार्यालय के समस्त अधिकारियों को शामिल किया जावे।
- जिला स्तरीय कमेटी आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय के वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ-साथ सीएसआर अनुभाग द्वारा पूर्व छात्र एवं दानदाता सम्मेलन आयोजन के समस्त उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करेगी।
- राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, भामाशाहों, दानदाताओं को चिन्हित कर विद्यालयों में आमंत्रित करने हेतु सम्पर्क कर उसकी सूची मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करावें, जिससे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनसे समन्वय कर उनको कार्यक्रम हेतु आमंत्रित कर सकें।
- समारोह से पूर्व जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की बैठक आयोजित की जावेगी, जिसमें कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु समस्त दिशा-निर्देश प्रदान किये जावेंगे।
- जिला कार्यालय अपने जिले में आयोजित पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2020-21 आयोजन की समेकित रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण-पत्र व छाया चित्र अंतिम समारोह के आयोजन 15 दिवस में सभी ब्लॉक से एकत्रित कर राज्य कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
- जिला कार्यालय व्यय राशि की प्रविष्टि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पीएसएम पोर्टल पर अनिवार्यतः अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- ब्लॉक समिति के कार्य-
- आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में समारोह हेतु गठित उक्त ब्लॉक स्तरीय कमेटी आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय के वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ-साथ सीएसआर अनुभाग द्वारा पूर्व छात्र एवं दानदाता सम्मेलन आयोजन के समस्त उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करेगी।
- ब्लॉक स्तरीय कमेटी ग्रामीण क्षेत्र के आदर्श विद्यालयों के साथ-साथ शहरी आदर्श विद्यालयों एवं बिना शहरी आदर्श विद्यालय वाले शहरी क्षेत्र में आयोजित पूर्व छात्र एवं दानदाता सम्मेलन आयोजन की कार्ययोजना निर्माण करने एवं कार्य रूप में परिणित करने के लिये उत्तरदायी होगी।

SR

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्



Government of Rajasthan
Gyan Sankalp

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ओपन स्टेट बिल्डिंग, प्रथम तल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 0141-2709846

E-mail: csr.edu.raj@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीएसआर/प्लॉन 2019-20/ 13972

दिनांक : 20/8/2020

- समारोह के आयोजन से पूर्व आयोजन विद्यालय क्षेत्र के राउमावि व रामावि विद्यालयों की संख्या निर्धारित करने व राज्य स्तर से जारी राशि जिला कार्यालय के माध्यम से विद्यालयों तक उपलब्ध हो जावे, इसकी सुनिश्चितता की जावे।
- आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हेतु ब्लॉक स्तर पर निर्मित विस्तृत कार्ययोजना को समस्त शहरी क्षेत्र के आयोजक विद्यालय एवं समस्त पीईईओ के साथ साझा करेंगे।
- कार्ययोजना निर्माण करते समय अधिकाधिक जनसहभागिता को प्रमुखता प्रदान करेंगे।
- समारोह में जनप्रतिनिधि, भामाशाह, दानदाता, कम्पनी के प्रबन्धक/सीएसआर हैड को आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- राज्य स्तर से समारोह हेतु जारी राशि के अतिरिक्त राशि एकत्रीकरण हेतु जिला/ब्लॉक के सीएसआर फर्म, भामाशाह, उधोगपति, दानदाता, जनप्रतिनिधि, विद्यालयों के सफल पूर्व छात्र एवं ऐसे संभावित व्यक्तित्व जो कार्यम के आयोजन हेतु राशि उपलब्ध करा सकते हैं, की सूची आयोजन विद्यालय संस्था प्रधान/पीईईओ के साथ साझा की जावे।
- समारोह में सम्बलन प्रदान करने हेतु ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की सूची तैयार की जावे। विद्यालयों में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ - साथ ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी सम्बलन हेतु उपस्थित हों, यह सुनिश्चित किया जावे।
- राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, भामाशाहों, दानदाताओं को चिन्हित कर विद्यालयों में आमंत्रित करने हेतु सम्पर्क कर उसकी सूची पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करावें, जिससे पीईईओ उनसे समन्वय कर उनको कार्यक्रम हेतु आमंत्रित कर सके।
- समारोह से पूर्व ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, ग्रामीण आदर्श विद्यालय संस्थाप्रधान, शहरी आयोजक विद्यालय संस्थाप्रधान की बैठक आयोजित की जावेगी, जिसमें कार्यम के सफल आयोजन हेतु समस्त दिशा-निर्देश प्रदान किये जावें।
- ब्लॉक में पंचायत स्तरीय आयोजन समिति के गठन की सूचना सहित आयोजन हेतु अलग-अलग दिवस निर्धारित कर आयोजन की दिनांकवार सूची दिनांक 14-09-2020 तक अनिवार्य रूप से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- ब्लॉक स्तरीय आयोजन समिति ब्लॉक में आयोजित पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2020-21 आयोजन की समेकित रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण-पत्र व छाया चित्र, ब्लॉक में आयोजित अंतिम समारोह के आयोजन 7 दिवस में जिला कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
- पंचायत स्तर /शहरी आदर्श विद्यालय/ अन्य शहरी विद्यालय आयोजन समिति के कार्य-
- पूर्व उल्लेखित पंचायत स्तर /शहरी आदर्श विद्यालय/ अन्य शहरी विद्यालय आयोजन समिति पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2020-21 आयोजन हेतु निम्नांकित समस्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी-
 - पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2020-21 आयोजित किये जाने हेतु आवश्यक तैयारियों समय पूर्व वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन तैयारियों के साथ-साथ सम्पन्न कर ली जावें।
 - उक्त आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई उक्त राशि के अतिरिक्त संस्था प्रधान एवं स्टाफ जनसहयोग, भामाशाहों, दानदाताओं एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं।
 - पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2020-21 हेतु पंचायत /शहर स्तरीय विस्तृत कार्ययोजना का निर्माण कर कार्य रूप में परिणित करेंगे।

प्र

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्



Government of Rajasthan
Gyan Sankalp

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ओपन स्टेट बिल्डिंग, प्रथम तल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 0141-2709846

E-mail: csr.edu.raj@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीएसआर/प्लॉन 2019-20/13972

दिनांक : 20/8/2020

- पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2020-21 के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु समस्त व्यवस्थाओं का समस्त उत्तरदायित्व संबंधित सीबीईओ/ पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में ग्रामीण एवं शहरी आयोजक विद्यालय संस्थाप्रधान का रहेगा।
- पंचायत परिक्षेत्र/शहरी क्षेत्र विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन के दिवस पंचायत / शहरी परिक्षेत्र के क्षेत्रानुसार समस्त विद्यालयों के समस्त बच्चे एवं पंचायत परिक्षेत्र के समस्त संस्थाप्रधान एवं शिक्षक (उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान) शामिल रहेंगे।
- पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन में अधिकाधिक जनसहभागिता हेतु प्रयास किये जावें। इस हेतु शहरी आदर्श विद्यालय संस्थाप्रधान/ पीईईओ समारोह पूर्व अधीनस्थ विद्यालय स्टाफ के सहयोग से विद्यालय के समस्त परिक्षेत्र में जनसंपर्क सीपित करें।
- विद्यालय स्तर पर भी SDMC/SMC की बैठक के दौरान उक्त समारोह के सफल आयोजन हेतु विस्तृत कार्य योजना तय कर समस्त सदस्यों में कार्य आवंटन किया जावे।
- समारोह में विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों के अतिरिक्त समस्त विद्यार्थी विद्यालय गणवेश में उपस्थित रहेंगे।
- उपलब्ध करवाई गई एवं जुटाई गई राशि का उपयोग समारोह के सफल आयोजन हेतु आवश्यक संसाधन जैसे - मुद्रण कार्य मंच साज-सज्जा, टैन्ट व्यवस्था, साउण्ड सिस्टम, वीडियो/फोटोग्राफी, बैठक व्यवस्था, जलपान इत्यादि के लिये एवं विद्यार्थियों के लिये पुरस्कार - शिल्ड, स्मृति चिन्ह, प्रोत्साहन राशि इत्यादि हेतु किया जाना है।
- समारोह का प्रारम्भ अनिवार्यतः राष्ट्रगान के साथ एवं समापन राष्ट्रगीत के साथ किया जावे।
- कार्यक्रम का आयोजन गरिमामय रहे, इस बात का पूर्णतया ध्यान रखा जावे।
- विद्यालय के सफल पूर्व विद्यार्थियों सहित समस्त विद्यार्थियों के अभिभावकों को समारोह में भाग लिये जाने हेतु आमंत्रित किया जावे एवं इस संबंध में विद्यार्थियों को भी उनके अभिभावकों को प्रेरित करने हेतु मार्गदर्शन दिया जावे।
- समारोह में जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, भामाशाह, दानदाता, कम्पनी के प्रबन्धक/सीएसआर हैड, SDMC/SMC के सदस्य, विद्यालय के सफल पूर्व छात्र एवं समस्त अभिभावक को अनिवार्यतः आमंत्रित किया जावे, जिनके साझा किये गये अनुभवों से बच्चे प्रोत्साहन प्राप्त कर सकें।
- समारोह में विद्यालय के अधिकाधिक भामाशाह/दानदाता/नजदीकी या क्षेत्र में कार्य करने वाली औद्योगिक ईकाईयां/कम्पनी/ एनजीओ की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।
- पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन कार्यक्रम हेतु मंच पर ज्ञान संकल्प पोर्टल के प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री भी प्रदर्शित की जावें।
- दिशा-निर्देशों के साथ संलग्न ज्ञान संकल्प पोर्टल से सम्बन्धित ब्रोशर की प्रति की फोटो कॉपी आगुंतकों को बंटवाना भी सुनिश्चित करें।
- समारोह में सम्मानित अतिथि, जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, भामाशाह, दानदाता, कम्पनी के प्रबन्धक/सीएसआर हैड, SDMC/SMC के सदस्य, विद्यालय के सफल पूर्व छात्र एवं समस्त अभिभावक को विद्यालय विकास में सहयोग हेतु प्रेरित किया जावे। इस हेतु ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में सक्षिप्त जानकारी देकर विद्यालय विकास में इसके महत्व का प्रचार-प्रसार किया जावें।
- पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन में ग्रामीण आदर्श विद्यालय स्तर पर आयोजन में पीईईओ, शहरी आदर्श विद्यालय या अन्य शहरी निकाय क्षेत्र आयोजक विद्यालय में आयोजक विद्यालय के संस्था प्रधान अपने क्षेत्र के विद्यालयों की राजकीय विद्यालयों की ढांचागत आवश्यकताओं का आंकलन कर सूचीबद्ध कर आयोजन दौरान समुदाय के

र

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ओपन स्टेट बिल्डिंग, प्रथम तल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 0141-2709846

E-mail: csr.edu.raj@gmail.com



Government of Rajasthan
Gyan Sankalp

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीएसआर/प्लॉन 2019-20/ 13972

दिनांक : 20/8/2020

- विद्यालयवार आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें। जिससे उपस्थित दानदाता/ भामाशाह/ कम्पनियों के प्रतिनिधि विद्यालयों के विकास में अपना सहयोग देने के लिए प्रेरित हो सकें।
- पंचायत एवं सीआरसी स्तरीय समिति अपने अधीनस्थ विद्यालय में आयोजित समारोह की रिपोर्ट आयोजन के अगले दिवस ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
 - पंचायत एवं सीआरसी स्तरीय समिति आयोजित पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन के 02-05 छवि चित्र (फोटोग्राफ), आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के भेजे जाने वाले 10 छाया चित्रों के साथ-साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
 - उक्त समारोह के आयोजन हेतु विद्यालय के SDMC/SMC खाते में उपलब्ध करवाई गई राशि का उपयोग अनिवार्यतः संबंधित SDMC/SMC के माध्यम से ही किया जायेगा।
 - कार्यक्रम आयोजन के 7 दिवस में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र सीबीईओ के माध्यम से सीडीईओ कार्यालय जिला स्तर को जीएफ एण्ड एआर के अनुसार निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत किया जावे। जिला स्तर से समेकित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जी.एफ. एण्ड ए.आर. के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा।
 - आवंटित राशि में यदि कोई बचत राशि शेष हो तो आयोजक विद्यालय आयोजन के 07 दिवस में जिला कार्यालय को लौटाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

(बाबू लाल मीणा)

आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक,

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रास्कूलशिप, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम एवं द्वितीय, रास्कूलशिप, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि एवं माशि, समस्त जिले।
10. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
11. प्राचार्य, समस्त जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIETs)।
12. समस्त पीईईओ, स्कूल शिक्षा विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ओपन स्टेट बिल्डिंग, प्रथम तल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 0141-2709846

E-mail: csr.edu.raj@gmail.com



Government of Rajasthan
Gyan Sankalp

संकल्प पत्रिका

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/सीएसआर/प्लॉन 2019-20/13972

दिनांक : 20/8/2020

अनुसूची-1

Ex-students & Potential Donors Meet for Government School 2020-21
District wise No. of School and Amount (@ 1000/- per school)

S.No.	district_name	No. of Secondary/ Sr.Secondary School	Sanctioned Amount @ 1000/- per school	Amount (in Lakhs)
1	AJMER	512	512000	5.12
2	ALWAR	774	774000	7.74
3	BANSWARA	455	455000	4.55
4	BARAN	303	303000	3.03
5	BARMER	688	688000	6.88
6	BHARATPUR	534	534000	5.34
7	BHILWARA	561	561000	5.61
8	BIKANER	423	423000	4.23
9	BUNDI	270	270000	2.70
10	CHITTAURGARH	408	408000	4.08
11	CHURU	496	496000	4.96
12	DAUSA	372	372000	3.72
13	DHAULPUR	285	285000	2.85
14	DUNGARPUR	390	390000	3.90
15	GANGANAGAR	469	469000	4.69
16	HANUMANGARH	350	350000	3.50
17	JAIPUR	941	941000	9.41
18	JAISALMER	187	187000	1.87
19	JALOR	382	382000	3.82
20	JHALAWAR	322	322000	3.22
21	JHUNJHUNU	509	509000	5.09
22	JODHPUR	683	683000	6.83
23	KARALI	307	307000	3.07
24	KOTA	312	312000	3.12
25	NAGPUR	736	736000	7.36
26	PALI	487	487000	4.87
27	PRATAPGARH (RAJ.)	205	205000	2.05
28	RAJSAMAND	295	295000	2.95
29	SAWAI MADHOPUR	298	298000	2.98
30	SIKAR	595	595000	5.95
31	SIROHI	232	232000	2.32
32	TONK	328	328000	3.28
33	UDAIPUR	732	732000	7.32
	Grand Total	14841	14841000	148.41

No. of school as per UDISE 2018-19 (Excluding zero enrollment School)